न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता० दायरा	निर्णय तिथि
16/2021	दावा 88,188,92ए RTA	17.02.2021	20.06.2023

कुनणमल पुत्र भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. गोकुलचंद पुत्र भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
2. परमेश्वरी पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
3. चुकी पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
4. पेमा उर्फ चंपा पुत्री झाबरमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
5. गीतादेवी पुत्री झाबरमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
6. बजरंगलाल दत्तक पुत्र झाबरमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तह. व जिला चूरू
7. मुरारीलाल पुत्र लक्ष्मी उर्फ लिछमा पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. चूरू
8. इन्द्रचंद पुत्र लक्ष्मी उर्फ लिछमा पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. चूरू
9. प्रहलाद पुत्र सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
10. मांगीलाल पुत्र सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
11. बद्रीप्रसाद पुत्र सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
12. रामदेव पुत्र सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
13. गोदावरी पुत्री सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
14. पुष्पा पुत्री सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी.ए.

उपस्थित –
1. अधिवक्ता श्री रामकिशन शर्मा वादी
2. अधिवक्ता श्री रघुनन्दन सोनी प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम रायपुरिया का निवासी है तथा रोही मौजा रायपुरिया तहसील व जिला चूरू में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 189 तादादी 1.0117 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। यह कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के शामलाती राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। नमल जमाबंदी दावे के साथ पेश है। यह कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज की कब्जा व काश्त व खातेदारी में निहित थी, जिनकी मृत्यु के बाद उतराधिकार विधि से उनके उत[illegible] वाद की पारदर्शिता के लिये स्व. भैरारामजी का वंशवृक्ष निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:46 IST
Reason: SelfAttested

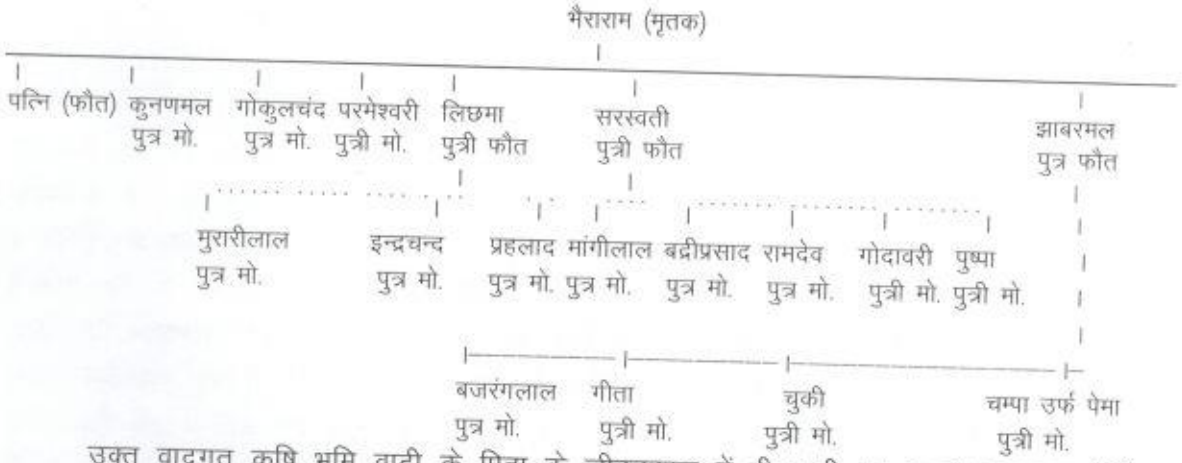

भैराराम (मृतक)

- पत्नि (फौत)
- कुनणमल पुत्र मो.
- गोकुलचंद पुत्र मो.
- परमेश्वरी पुत्री मो.
- लिछमा पुत्री फौत
  - मुरारीलाल पुत्र मो.
  - इन्द्रचन्द पुत्र मो.
- सरस्वती पुत्री फौत
  - प्रहलाद पुत्र मो.
  - मांगीलाल पुत्र मो.
  - बद्रीप्रसाद पुत्र मो.
  - रामदेव पुत्र मो.
  - गोदावरी पुत्री मो.
  - पुष्पा पुत्री मो.
- झाबरमल पुत्र फौत
  - बजरंगलाल पुत्र मो.
  - गीता पुत्री मो.
  - चुकी पुत्री मो.
  - चम्पा उर्फ पेमा पुत्री मो.

उक्त वादगत कृषि भूमि वादी के पिता के जीवनकाल में ही वादी का कब्जा व काश्त निरंतर निर्बाध रूप से चला आ रहा है, तदनुसार वादी ने उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण निवं सींव डालकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के पिता भैराराम के जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण वादी को मौखिक बंटवारे के द्वारा दे दी गयी थी जिस पर उसके शेष विधिक वारिशान सहमत रहते हुए वादी अर्सादराज से उक्त कृषि भूमि पर काश्त करता आ रहा है। जिस पर भैराराम जी के शेष वारिशान द्वारा कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया। इसलिये वादी ने उक्त कृषि भूमि को शेष वारिशान सह खातेदारों को वादी के नाम अंतरित करने के लिये कहा व कहलवाया गया जिस पर प्रतिवागण द्वारा आजकल कह कर दिनांक 14.01.2021 को वे वादी के नाम वादगत कृषि भूमि को अंतरित करने से साफ इंकार हो गये, प्रतिवादीगण की इंकारी दिनांक 14.01.2021 से वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ विनायदावा व विनायमुखासमत हासिल है। वादगत कृषि भूमि की सहखातेदार लक्ष्मी उर्फ लिछमा की मृत्यु दिनांक 25.12.1977 को हो जाने से उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 07 व 08 मुरारीलाल व इन्द्रचंद एवं सह खातेदार सरस्वती की मृत्यु दिनांक 17.05.2014 को होने के कारण उनके विधिक वारिशान प्रतिवादी सं.09 से 14 को पक्षकार संयोजित किये गये हैं ताकि वादपत्र की प्लीडिंग में कोई खाती नहीं रहे। प्रतिवादी संख्या 15 राजस्थान सरकार भूमिधारी है इसलिये तहसीलदार चूरू को तरतीबी पक्षकार बनाया गया है, जिनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वादगत कृषि भूमि ग्राम रायपुरिया तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित होने से दावा हाजा को सुनने का श्रीमान जी के न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। दावा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे की ग्रम रायपुरिया के खसरा नम्बर 189 की तादादी 1.0117 हैक्टेयर सम्पूर्ण कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त अर्सादराज से होने से वादी खातेदार कायम हो चुका है जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के एकल खातेदारी में दर्ज की जावे।

(ख) जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादी सं. 01 ता 14 को वर्जित फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जा काश्त की सम्पूर्ण कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से मदाखलत बेजा न करे और ना ही किसी अन्य से करायें।

(ग) अन्य कोई दादरसी जो मुफीद वादी करीने इन्साफ हो जिसकी इस्तदुआ वाद में करने से रह गई को भी अता फरमाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:46 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय [illegible] कार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये स[illegible] जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से श्री रघुनन्दन सो[illegible] ने [illegible] पेश किया एवं प्रतिवादी सं. 15 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हु[illegible] की ओर से जवाबदावा पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 से 14 ने अपने इकबालिया जवाब में अंकित किया कि अर्जीदावा की मद सं. 1 से 3 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होने व सही अंकित होने से स्वीकार हैं। मद सं. 4 वादी की उम्र 80 वर्ष स्वीकार है शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। मद संख्या 5 स्वीकार है। मद संख्या 6 व 7 के जबाब की आवश्यकता नहीं है । मद संख्या 8 पर कोई आपत्ति नहीं है । मद सं. 9 अर्जीदावा अनुसार वादगत भूमि वादी द्वारा अपने पिता भैराराम जी के जीवनकाल से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं, अन्य वारिशान को कोई उचर नहीं है। मद संख्या 10 अर्जीदावा अनुसार अपने हिस्से की भूमि को सर्वविदित रूप से वादी के हक में परित्यक्त अरसा दराज पूर्व कर चुके हैं यानि इस कृषि भूमि से नातिक हो चुके हैं, इस बाबत प्रतिवादीगण को कोई दावा नही हैं। अन्तिम मद अनुतोष के अनुसार यदि दावा वादी स्वीकार कर डिक्री जारी की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी सं. 1 से 14 की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने पर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादी की ओर से गवाह कुनणमल, भागीरथ, रामचन्द्र ने उपस्थित होकर बयान शपथ पत्र पेश किये जिनसे वकील प्रतिवादीगण कोई जिरह नहीं करना चाहते। पत्रावली साक्ष्यवादी में लम्बित रही। दिनांक 03.02.2023 को वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही करने हेतु निवेदन किये जाने के फलस्वरूप साक्ष्यवादी बन्द की गयी। पत्रावली बहस में नियत रखी गई।

दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि साबिक ख.नं. 189 तादादी 1.0117 हैक्टेयर रोही रायपुरिया वादी के कब्जा व काश्त व मौखिक बंटवारे में है जिसको जरिए घोषणा दुरूस्त करवाने हेतु हमने यह दावा पेश किया है। उक्त खसरा वादी के ही कब्जा काश्त में है। जिस पर प्रतिवादीगण के वकील को ने अपनी संक्षिप्त बहस में जाहिर किया कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात व बायानात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम रायपुरिया के ख.नं. 189 तादादी 1.0117 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। दावा की घोषणा में चाही गई उक्त कृषि भूमि मौके पर आज भी कब्जा काश्त वादी का ही होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया है। साक्ष्यवादी कुन्दनमल, भागीरथ, रामचन्द्र ने अपने बयानों में कथन किया है कि ख.नं. 189 तादादी 1.0117 हैक्टेयर जिसके चारों तरफ सींव बनी हुई है का मौके पर कब्जा काश्त वादी का है। साक्ष्यवादी भागीरथ व रामचन्द्र द्वारा अपने बयानों में कथन किया है कि हम वादगत कृषि भूमि को कुनणमल जी के कहने पर ही गत पन्द्रह वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं, काश्त में होने वाली उपज हमने कुनणमल जी को ही दी है तथा हमने वादगत कृषि भूमि का स्वामित्व उनके पास ही देखा है। भैराराम जी के अन्य वारिसान को वादगत भूमि पर कब्जा व का[illegible] द्वारा दावा के विरोध में कथन किया कि प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि उतराधि[illegible] हुई है, यदि वादी के नाम भूमि की जाती है तो यह एक प्रकार से हक[illegible] हकत्याग शुल्क अदायगी नहीं किये जाने से राजहित प्रभावित होता है [illegible] किया जाना उचित है । इस प्रकार पत्रावली मय पेश दस्तावेजात[illegible] के अवलोकन एवं मनन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 189 तादादी 1.0117 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी के ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:46 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं मौखिक बटवारा में उक्त कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावा में कोई विरोध नही किया है एवं अपनी सहमति दिये जाने से एक प्रकार से प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में उतराधिकार में प्राप्त कृषि भूमि का हकत्याग कर दिया है। राजहित प्रभावित ना हो इसलिये वादी से हकत्याग शुल्क लिया जाना उचित है। अतः वादी की ओर से पेश दावा वादी के पक्ष में साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख. नं. 189 तादादी 1.0117 रोही ग्राम रायपुरिया का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये हकत्याग के शुल्क अदायगी कर दिये जाने पर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री उगमसिह राजपुरोहित आर०ए०एस०

कुनणमल पुत्र भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. गोकुलचंद पुत्र भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
2. परमेश्वरी पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
3. चुकी पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
4. पेमा उर्फ चंपा पुत्री झाबरमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
5. गीतादेवी पुत्री झाबरमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
6. बजरंगलाल दत्तक पुत्र झाबरमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील व जिला चूरू
7. मुरारीलाल पुत्र लक्ष्मी उर्फ लिछमा पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रायपुरिया तह. व जिला चूरू
8. इन्द्रचंद पुत्र लक्ष्मी उर्फ लिछमा पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. चूरू
9. प्रहलाद पुत्र सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. चूरू
10. मांगीलाल पुत्र सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
11. बद्रीप्रसाद पुत्र सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
12. रामदेव पुत्र सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
13. गोदावरी पुत्री सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
14. पुष्पा पुत्री सरस्वती पुत्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुरिया तह. व जिला चूरू
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी.ए.</u>

–प्रतिवादीगण–

मुकदमा नं. 16/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रामकिशन शर्मा एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री रघुनन्दन सोनी एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 189 तादादी 1.0117 रोही ग्राम रायपुरिया का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये हकत्याग के शुल्क अदायगी कर दिये जाने पर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक [illegible]2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.30 11:07:46 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू